26.8.21 - पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।
उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम झगड़वास
में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख०नं० 651/430
रकबा 0.8410 स्थित है। प्रार्थी का सही नाम
दलजीत खान पुत्र सवाई खां है जो आधारकार्ड,
मतदाता पहचान पत्र तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों
में दर्ज है। खसरा नम्बर 651/430 का नामा०
भरा गया तब प्रार्थी का नाम दलजीत खान
पुत्र सवाई खाँ दर्ज होना था, लेकिन राजस्व
कर्मचारियों की गलती से या सहवन से प्रार्थी का
नाम इब्राहिम खाँ पुत्र सवाई खां गलत दर्ज
हो गया। दलजीत खाँन पुत्र सवाई खाँ व

इब्राहिम खाँ [illegible]

प्रार्थी एक ही व्यक्ति है, दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं है। मुताबिक जमीन में प्रार्थी का सही नाम नहीं होने से प्रार्थी को भारी असुविधा हो रही है। अतः प्रार्थी का उक्त खसरा की भूमि में इब्राहिम खाँ के स्थान पर सही नाम ~~खा~~ इलजीत खान किया जाकर रेकर्ड दुरुस्ती के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम झगड़वास के पुराने ख0नं0 212, 220 की खातेदारी सवाई खाँ, कालु खाँ पि0 अजीम खाँ, अयूब खाँ, सरजीत खाँ पि0 मुबारक खाँ कौम कायमखानी के नाम से खातेदारी दर्ज थी। जरिये नामान्तकरण सं0 406 द्वारा निर्णय बंटवाड़ा सहायक कलक्टर दिनांक 9.12.1993 क्रमांक /कोर्ट/93/1310-12।। के तहत अयूब खाँ, सरजीत खाँ पि0 मुबारक खाँ, सायरा बेवा मुबारक खाँ कायमखानी के नाम ख0नं0 212, 220/2 एवं सादुल खाँ, मोहन खाँ, मजीद खाँ, इब्राहिम खाँ, हिम्मत खाँ पि0 सवाई खाँ के नाम ख0नं0 220/1 का नामान्तकरण स्वीकार हुआ था। चूंकि नामान्तकरण सं0 406 विरासत का नहीं होकर निर्णय बंटवाड़ा का था जो न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना द्वारा दिया गया था जो खातेदारान द्वारा प्रस्तुत दावे के आधार पर दिया गया था। इसमें राजस्व कार्मिकों की कोई गलती नहीं है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व साथ में

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

अनुवान मुकदमा | सं. वर्ष ______

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की ता
	संलग्न दस्तावेजो से यह सिद्ध नहीं होता है कि वास्तव मे इब्राहिम खाँ व दलजीत खान एक ही व्यक्ति के नाम है। हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र के साथ खसरा नम्बर 651/430 की जमाबंदी में खातेदार इब्राहिम खान पुत्र सवाई खाँ दर्ज है। राज पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के निर्णय से खसरा नम्बर 2201 की खातेदारी सादुल खाँ, मोहन खाँ, मजीद खाँ, इब्राहिम खाँ, हिम्मत खाँ पि० सवाई खाँ को संयुक्त रूप से प्राप्त हुई। ~~वर्तमान में~~ जिसका भी संभवत बंटवारा होकर वर्तमान मे ख०नं० 651/430 रकबा 0.8410 हे० की खातेदारी ~~प्रार्थी~~ इब्राहिम के नाम है। इस प्रकार न्यायालय के निर्णय के आधार पर नामान्तकरण के जरिये खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त निर्णय मे प्रार्थी का नाम इब्राहिम खाँ नहीं होकर ~~दलजीत~~ दलजीत खाँन दर्ज रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से यह साबित नहीं होता है कि इब्राहिम खाँ पुत्र सवाई खाँ व दलजीत खान पुत्र सवाई खा नाम का एक ही व्यक्ति हो जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। [signature]	

सहायक कलेक्टर एवं भू-प्रबन्ध उपखण्ड अधिकारी
[illegible]